



UPHR010048502026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट, हरदोई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 2306/2026

1- कल्लू उर्फ संदीप कुमार सिंह

2- भूरा उर्फ सुदीप कुमार सिंह

सर्व निवासीगण मोहल्ला राधानगर अवध पब्लिक स्कूल के पास निकट बिलग्राम चुंगी, थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई।

----- प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य ----- अभियोगी

1- प्रार्थी/अभियुक्तगण कल्लू उर्फ संदीप कुमार सिंह व भूरा उर्फ सुदीप कुमार सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 301/2020, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०द०सं० व धारा 3(2) (Va), 3(1)(r) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट, थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में है।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थी विवेक कुमार पुत्र विजय वर्मा निवासी ग्राम अलावलपुर थाना टडियाचा जिला हरदोई अपनी ताई की तेरखी ससकार में शामिल होने मो० राधानगर निकट अयश पहिलक स्कूल के पीछे हरदोई में आया पर जिसमें प्रार्थी गेट के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठा था। ऊपर में जितेन्द, कल्लू शराब के नशे में आये और प्रार्थी को गाली देने लगे कहा साले चमारी यहां कुर्सी रास्ते में डालकर घंटे हो जिस पर प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो विपक्षीगण आग बबूला हो गये। सब प्रार्थी को लात घूसों से जाति सूचक गाली देते हुए मारने पीटने लगे। प्रार्थी जान बचाने के लिये घर की ओर भागने की कोशिश की जिस पर विपक्षगणों ने पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी देने हुए मारने पीटने लगे जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर दर्ज करायी गयी।

3- प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिए गए हैं कि उन्हें उपरोक्त मुकदमे में गांव की पार्टीबंदी के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण निर्दोष है। उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया है, न विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है। अतः जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

4- वादी को नोटिस जारी की गयी जो तामील हुयी, परन्तु वादी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

5- जमानत प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में अभियुक्तपक्ष के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजनपक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6- प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्व से अन्तरिम जमानत पर हैं। उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। धारा 3(2)(Va), 3(1)(r) एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट के अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य अभिकथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थनापत्र जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **कल्लू उर्फ संदीप कुमार सिंह व भूरा उर्फ सुदीप कुमार सिंह** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० **25,000-25,000/-** (पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की **एक-एक प्रतिभू** प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 20-07-2026

प्रभारी विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी
(पी०ए०) एक्ट, हरदोई।